## उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश कमांक 250/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक WO 520422

विषय :- टेरिफ आदेश वर्ष 2016-2017 में वर्णित प्रावधान के अनुरुप रु. 1/- प्रति युनिट की छूट संयोजन दिनांक से देने विषयक।

मेसर्स आर.डी.विविंग मिल्स, ———परिवादी एल.एल.पी. पाद्दार कम्पाउण्ड, न्यू टीआईटी रोड, गुरुद्वारे के पास, बुरहानपुर (म.प्र.) विरूद्ध

मुख्यअभियंता (इं.क्षे.) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि. इंदौर अधीक्षण यंत्री (सं/सं) वृत मप्रपक्षेविविकंलि. बुरहानपुर ———उत्तरदाता <u>आदेश</u>

(आज दिनांक 22.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी प्रतिनिधि श्री इकबाल खान उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री सुनील मावसकर कार्यपालन यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :--

परिवादी का मेसर्स आर.डी.विविंग मिल्स के नाम से 500 केव्हीए. क्षमता का उच्चदाब विद्युत कनेक्शन क. H5234842601 खसरा नं. 106, 107, 108 ग्राम जीरी, चुलखान रोड जिला बुरहानपुर में 33 केव्ही सप्लाय पर अवस्थित है। उक्त संयोजन में निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर दि. 25.01.2016 को कंपनी के साथ अनुबंध संपादित कर, नियमानुसार इलेक्ट्रीफिकेशन कार्य (बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इत्यादि) करवाकर न्यू कनेक्शन लिया गया, जो कि दि. 29.08.2016 से सप्लाय प्रारंभ किया गया है।

इसके पश्चात म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी वित्तीय टेरिफ ऑर्डर वर्ष 2016—2017 की एचटी टेरिफ में वर्णित Tariff schedule-HV-3 की कंडिका क. (आई) जो कि निम्नानुसार है:— (I)Rebat for new HT connections: A rebate of Rs 1/Unit or 20% whichever is less is applicable in energy charges is applicable for new HV 3.1 tariff category connection for the consumption recorded. Provided these connections are given to green field projects and no rebate is applicable for new connections obtain by virtue of change in ownership in existing connection.

के अनुसार परिवादी के द्वारा अधीक्षण यंत्री संचारण एवं संधारण म.प्र. प.क्षे.वि.वि.क.लि. बुरहानपुर को आवेदन किया गया था, जिस पर उनके द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अधीक्षण यंत्री उच्चदाब बिलिंग प्रकोष्ठ म.प्र. प.क्षे.वि.वि.क.लि.इंदौर को पत्र प्रेषित कर कनेक्शन को ग्रीन फिल्ड रिबेट देने हेतु कहा गया था। तथा इस पत्र के संदर्भ में अधीक्षण यंत्री उच्चदाब बिलिंग प्रकोष्ठ म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.इंदौर के द्वारा पत्र क.1088/89 दि.13. 10.2017 के माध्यम से जवाब दिया गया कि:—

"according to the tariff order 2017-2018, in tariff schedule (e): A Rebate of Rs. 1/Unit of 20% whichever would be less is applicable is energy charges for new connection for the consumption recorded. The rebate shall be allowed for a period of five years from the date of connection. for such new projects for which agreement for availing connections are served to green field project only an no rebate is applicable for new connection obtain by virtue of change in ownership in existing connection".

Since consumer had finalized the agreement on 25 Jan 2016. Hence as per tariff order 2017-2018 HT consumer M/s R.D.WEAVING MILLS LLP is not eligible for green field project rebate Rs 1/Unit or 20% of energy charges whichever would be less in FY 2017-2018. Therefore green field project rebate is not given to consumer from 10 Apr-2017 to till date.

अतः कृपया उक्त हेतुं परिवादी के नये कनेक्शन हेतु परिवादी द्वारा अधीक्षण यंत्री संचारण एवं संधारण म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. बुरहानपुर वृत्त से किये गयें उच्च्दाब अनुबंध के पाइंट नं. 2 –ए के अध्ययन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसारः–

"2(a)Commencement of this agreement shall date either from the actual date on which the consumer has begun to take electrical

energy under this Agreement or the day immediately following the expiry of specified notice period of intimation of 30 days as per electricity supply code. 2021 as in force and as amended from time to time served by the Discom's Executive Engineer of the area on the consumer that supply of electrical energy is available under this Agreement, whichever is earliest.

"2—(क) इस अनुबंध के अंतर्गत इस अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि या तो उपभोक्ता द्वारा विद्युत उर्जा के प्राप्त किये जाने की वास्तविक तिथि से लागू होगी अथवा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2021 तथा जिसे समय—समय पर संषोधित अनुसार विनिर्दिष्ट 30 दिवस की सूचना अवधि की समाप्ति के तुरंत प्चात की सूचना की तिथि से पिष्यम क्षेत्र वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री द्वारा उपभोक्ता को इस आषय से दी गई हो कि इस अनुबंध के अंतर्गत विद्युत उर्जा उपलब्ध है, जो भी पहले हो, के अंतर्गत होगी।

उक्त बिंदु क. 2-ए से स्पष्ट है कि उक्त अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि परिवादी के सप्लाय चालू होने की दिनांक याने कनेक्षन दि. 29.08.2016 अथ्वा उस एरिया के कार्यपालन येत्री द्वारा इस आषय से दिया गया 30 दिवस का सूचना पत्र की समाप्ति तिथि की इस अनुबंध के अंतर्गत विद्युत उर्जा उपलब्ध है, जो भी पहले हो, से प्रभावशील होगा।

चूंकि कार्यपालन यंत्री द्वारा परिवादी को किसी भी प्रकार की सूचना 30 दिवस में नहीं दी गई है, कनेक्षन दि. 19.08.2016 ही उच्चदाब अनुबंध होने की तिथि मानी जावेगी। जो कि वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान है जिस कारण परिवादी को वित्तीय वर्ष टेरिफ ऑर्डर 2016—2017 की एचटी टेरिफ में वर्णित की कंडिका क. आई के अनुसार ग्रीन फिल्ड रिबेट की पात्रता बनती है। जो कि म.प्र.प. क्षे.वि.वि.क.लि.इंदौर द्वारा आज तक नहीं दी गई है, कृपया छूट दिलवायें जाने का कष्ट करें।

परिवादी ने परिवाद के साथ विद्युत बिल, टेरिफ ऑर्डर, एग्रीमेंट कॉपी, एचटी बिलिंग का पत्र, एग्रीमेंट में दी गई कंडिषन, सीई. को पत्र, एचटी बिलिंग को पत्र, एसई. कमर्शियल को पत्र एवं एसई. बुरहानपुर को पत्र की छाया प्रतियां संलग्न की है।

# 2.परिवादी द्वारा विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के संदर्भ में प्रकरण सुनवाई दि. 04.08.2022 को निम्नानुसार बिंदुवार लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया:—

बिंदु क्र. 1 :- कोई आपत्ति नही है ।अनावेदक द्वारा उच्चदाब अनुबंध प्रस्तुत किया गया है जोकि सही है ।

बिंदु क्र. 2:- कार्यपालन यंत्री (संचा / संधा), बुरहानपुर संभाग द्वारा हमें सीधे तोर पर कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र क्र. का.यं./16-17/2567बुरहानपुर दिनांक 29/08/16 के माध्यम से अवगत कराया गया था एवं हमारे द्वारा उसी दिवस में कार्य पूर्ण करवाया जाकर दिनांक 29/08/2016 को संयोजन चालू करवा लिया गया था अत: उच्चदाब अनुबंध के बिंदु क्र. 2(a) के अनुसार हमारी संयोजन दिनांक 29/08/2016 से ही उच्चदाब अनुबंध प्रभावी तिथि मानी जावेगी एवं टेरिफ के अनुसार हमें ग्रीनफ़ील्ड रिबेट की पात्रता बनेगी।

बिंदु क्र. 3 :- कोई आपत्ति नही है I

बिंदु क्र. 4 :- कोई आपत्ति नही है I

अत: कृपया उक्त छुट दिलवाए जाने का कष्ठ करे I

### विपक्ष का कथन :--

परिवादी का 500 केव्हीए. क्षमता का उच्च्दाब कनेक्षन क. एच 5234842601 टेरिफ एचव्ही.3.1 का 33 केव्ही.लाईन पर संयोजित है।

- 2. फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कनेक्षन दि. 29.08.2016 से ग्रीन फिल्ड की रिबेट चाही गई है।
- 3. दि. 25.01.2016 को 400 केव्हीए. का अनुबंध परिवादी एवं कंपनी के मध्य पारित किया गया है।किंतु परिवादी द्वारा 33 केव्ही.लाईन का कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण संयोजन दि. 29.08.2016 से प्रभावषील है। अनुबंध एवं मीटर की डिस्पोजल स्लिप की छाया प्रति संलग्न है।
- 4. परिवादी द्वारा दि. 21.05.2018 को 400 केव्हीए. से 500 केव्हीए. भार वृद्धी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए दि. 21.06.2018 को अनुबंध पारित किया जाकर भार वृद्धी की कार्यवाही गई गई है।
- 5. उच्चदाब टेरिफ आदेश वर्ष 2016—2017 दि. 13.04.2016 से प्रभावशील है एवं उच्चदाब एचव्ही 3 की औद्योगिक, गैर औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल की "Specific terms and conditions" की कंडिका (1) के अनुसार:—
- (1)Rebate for new HT connections: A rebate of Rs 1/Unit or 20% whichever is less is applicable in energy charges for new HV 3.1

tariff category connection for the monthly consumption recorded. Provided these connections are given to green field projects and no rebate is applicable for new connections obtain by virtue of change in ownership in existing connection. टेरिफ आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

- 5. उक्त कंडिका के अनुसार परिवादी को दि.29.08.2016 से दि. 10.04.2017 तक नवीन संयोजन छूट (New HT Connection rebate) प्रदान की जा चुकी है। 6. उच्च दाब टेरिफ आदेश वर्ष 2017—2018 दि. 10.04.2017 से प्रभावशील है एवं उच्चदाब एचव्ही.3 की औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल की कंडिका 'specific terms and conditions' की कंडिका (e) के अनुसार:—
- "(e) A rebate of Rs 1/Unit or 20% whichever would be less applicable in energy charges for new connection for the consumption recorded. The rebate shall be allowed for a period of five years from the date of connection for such new projects for which agreements for availing supply from licensee are finalized during FY 2016-2017 and FY 2017-2018. Provided these connections are served to green field projects only and no rebate is applicable for new connections obtain by virtue of change in ownership in existing connection".

टेरिफ आदश की उक्त कंडिका में स्पष्ट लेख है कि रिबेट की पात्रता केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को उपलब्ध है, जिनका अनुबंध वित्तीय वर्ष 2016—2017 एवं वित्तीय वर्ष 2017—2018 में हुआ है। टेरिफ आदेश की छाया प्रति संलग्न है। चूंकि उपभोक्ता का अनुबंध दि. 25.01.2016 से प्रभावशील है, अतः उपभोक्ता को ग्रीन फिल्ड रिबेट की पात्रता नहीं है। इस संबंध में परिवादी को अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता अति उच्च दाब सेल म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.इंदौर के पत्र क. 1088 दि.13.10. 2017 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

7.उक्त उपभोक्ता को ग्रीन फिल्ड रिबेट की पात्रता नहीं है परंतु उपभोक्ता को (New HT Connection rebate) की पात्रता है। एवं टेरिफ के अनुसार उन्हें Incremental Units पर रिबेट प्रदान की जा रही है।

अतः माननीय फोरम से सविनय अनुरोध है कि परिवादी को ग्रीन फिल्ड रिबेट की पात्रता नहीं है किंतु Rebate for existing HT connections की पात्रता

है तथा टेरिफ के अनुसार Incremental Units पर रिबेट प्रदान की जा रही है अतः सव्यय परिवाद समाप्त करने का कष्ट करें।

विधिक प्रावधान:-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013:-

अनुबंध:-

कंडिका:-7.17:-

आवेदक द्वारा एक मानक प्रारुप में निर्दिष्ट मूल्य के स्टाम्प पत्र पर नवीन संयोजन की प्राप्ति हेतु तथा संविदा मांग में पविर्तन या मानदंडों के संबंध में अन्य किसी सहमत किये गयें परिवर्तन के लिए अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। किन्ही विषिश्ट परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबंध में कुछ विषिश्ट खंडों को जोड़ा जा सकेगा यदि उक्त खंड विद्युत अधिनियम 2003 (क.36, वर्ष 2003) एव प्रभावशील अन्य नियम एवं शर्तों के प्रतिकूल न हो। ये विषिश्ट खण्ड अनुबंध का भाग होंगे। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के पष्चात निश्पादित किये गयें अनुबंध की एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जाावेगी। उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय आवेदन के साथ जमा किये गयें ले—आउट या विन्यास (मानचित्र) जिस पर उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हो, अनुबंध का भाग होगा।

## <u>कंडिका:- 7.18:-</u>

अनुबंध के मानक प्रपत्र, इस संहिता के साथ संलग्न निम्नदाब उपभाक्ताओं हेतु परिशिष्ट—3 तथा उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं हेतु परिशिष्ट—4के अनुसार होंगे। निम्नदाब घरेलू एवं निम्नदाब एकल फेस गैर—घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर जिनके लिए अनुबंध की कोई प्रारंभिक अविध नहीं होगी, अन्य समस्त उच्चदाब तथा निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु अनुबंध की प्रारंभिक अविध दो वर्ष होगी।

## परििि ११८ 4

2. (क) इस अनुबंध के अंतर्गत इस अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि या तो उपभोक्ता द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्राप्त किये जाने की वास्तविक तिथि से लागू होगी अथवा

प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 तथा जिसे समय समय पर संशोधित अनुसार विनिर्दिष्ट ...........दिवस की सूचना अविध की समाप्ति के तुरंत पश्चात की सूचना तिथि से ............क्षेत्र वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री द्वारा उपभोक्ता को

इस आशय से दी गई हो इस अनुबंध के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा उपलब्ध है, जो भी पहले हो, के अंतर्गत होगी।

### विधिक प्रावधान:-

Retail Supply :tariff order FY 2016-2017:-w.e.f. 05. 04.2016 HV 3

- **(e) Rebate of existing HT Connection**: A rebate of 10% in energy charges is applicable for HV 3.1 tariff category for incremental monthly consumption w-r-t- consumption of previous years same month.
- **(F)**A Rebate for new HT Connection: A rebate of Rs 1 /Unit or 20% whichever is less is applicable in energy charges for new HV 3-1 tariff category connection for the monthly consumption recorded. Provided these connections are given to green field projects and no rebate is applicable for new connections obtain by virtue of charge in ownership in existing connection.

### tariff order FY 2017-2018:-HV 3 wef. 31-03-2017

(d) Rebate for existing HT connections: A rebate of 10% in energy charges is applicable for incremental monthly consumption w-r-t- consumption of FY 2015-2016 same month.

Note: In the event of enhancement demand the incremental consumption shall be worked-out proportionately.

### (e) Rebate for new HT connections:-

A Rebate of Rs. 1/Unit or 20% whichever would be less is applicable in energy charges for new connection for the consumption recorded. The rebate shall be allowed for a period of five years from the date of connection, for such new projects for

five years from the date of connection, for such new projects for which agreement for availing supply from licensee are finalized during 2016-2017 and FY 2017-2018. Provided these connections are served to green field projects only and no rebate is applicable for new connections obtain by virtue of change in ownership in existing connection.

Note: The green field project shall be those projects where the consumer invests in the construction of new industry/plant from the ground up and there was no prior construction/structure on that particular land.

### फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :--

परिवादी ने संयोजन में निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर दि. 25.01.2016 को कंपनी के साथ अनुबंध संपादित कर नियमानुसार बिल्डिंग कस्ट्रक्शन इत्यादि करवाकर न्यू कनेक्शन का दि. 29.08.2016 को सप्लाय प्रारंभ किया गया है। टेरिफ ऑर्डर वर्ष 2016—2017 की एचटी कंडिका (i) अन्सार ग्रीन फिल्ड रिबेट की मांग की गई है।

विपक्ष ने कथन में बताया है कि परिवादी ने कनेक्शन दि. 29.08. 2016 से ग्रीन फील्ड की रिबेट चाही है, परिवादी ने दि. 25.01.2016 को कंपनी से अनुबंध पारित किया है। परिवादी द्वारा 33 केव्ही. लाईन का कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण संयोजन दि.29.08.2016 से प्रभावशील है। उच्चदाब टेरिफ आदेश वर्ष 2016—2017 दि.13.03.2016 से प्रभावशील है। एवं एचव्ही.3 की कंडिका (i) के अनुसार परिवादी को दि. 29.08.2016 से दि. 10.04.2017 तक नवीन संयोजन छूट प्रदान की जा चुकी है। परंतु उच्चदाब टेरिफ आदेश वर्ष 2017—2018 दि. 10.04.2017 से प्रभावशील है, की कंडिका (e) में जिनका अनुबंध वित्तीय वर्ष 2016—2017 एवं वित्तीय वर्ष 2017—2018 में हुआ है, को रिबेट की पात्रता है। परिवादी का अनुबंध दि. 25.01.2016 से प्रभावशील है। अतः उपभोक्ता को ग्रीन फिल्ड की पात्रता नहीं है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का 33 केव्ही विद्युत प्रदाय संविदा मांग 400 केव्हीए.उच्च्दाब टेरिफ एचव्ही 3.1 का अनुबंध दि. 25.01.2016 को संपादित करत हुए, विद्युत प्रदाय आरंभ दि. 29.08.2016 को किया जाना पाया गया

है। परिवादी को उच्चदाब टेरिफ आदेश वर्ष 2016—2017 के प्रभावशील दि. 05.04.2016 की एचव्ही 3 की कंडिका (f) के अनुसार ग्रीन फिल्ड रिबेट दि. 29.08.2016 से दि.10.04.2017 तक की छूट विपक्ष द्वारा प्रदान की जा चुकी है। परंतु विपक्ष ने उच्च दाब टेरिफ आदेश 2017—2018 की प्रभावशील दि. 10.04.2017 की एचवी 3 की कंडिका (e) के अनुसार परिवादी का अनुबंध वर्ष 2015—2016 दि. 25.01.2016 का होने से ग्रीन फिल्ड छूट का लाभ देने से इंकार किया गया है। विधिक प्रावधान 7.17, 7. 18 परिशिष्ट 4 की कंडिका (2क) के अनुसार अनुबंध विद्युत प्रदाय दि. 29. 08.2016 से प्रभावशील है, अतः परिवादी को उच्चदाब टेरिफ वर्ष 2016—2017 एचव्ही 3 की कंडिका (F) तथा टेरिफ वर्ष 2017—2018 की कंडिका (e) के अनुसार ग्रीन फिल्ड छूट का लाभ कनेक्शन के विद्युत प्रदाय प्रारंभ होने की दि. 29.08.2016 से अनुबंध प्रभावशील वित्तीय वर्ष 2016—2017 का होने के कारण ग्रीन फिल्ड रिबेट (छूट) का लाभ दि. 10. 04.2017 से भी दिया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :--

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :—

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गयें उल्लेखानुसार, परिवादी का 33 केव्ही विद्युत प्रदाय संविदा मांग 400 केव्हीए. उच्च्दाब टेरिफ एचव्ही 3.1 का अनुबंध दि. 25.01.2016 को करते हुए, विद्युत प्रदाय आरंभ दि. 29.08.2016 को किया जाना पाया गया है। परिवादी को उच्चदाब टेरिफ आदेश वर्ष 2016—2017 के प्रभावशील दि.05.04.2016 की एचव्ही 3 की कंडिका (f) के अनुसार ग्रीन फिल्ड रिबेट दि. 29.08.2016 से दि.10.04.2017 तक की छूट विपक्ष द्वारा प्रदान की जा चुकी है। परंतु विपक्ष ने उच्च दाब टेरिफ आदेश 2017—2018 की प्रभावशील दि. 10.04.2017 की एचवी 3 की कंडिका (e) के अनुसार परिवादी का अनुबंध वर्ष 2015—2016 दि. 25.01.2016 का होने से ग्रीन फिल्ड छूट का लाभ देने से इंकार किया गया है। विधिक प्रावधान 7.17, 7.18 परिशिष्ट 4 की कंडिका (2क) के अनुसार अनुबंध विद्युत प्रदाय दि. 29.08.2016 से प्रभावशील है, अतः परिवादी को उच्चदाब टेरिफ वर्ष 2016—2017 एचव्ही 3 की कंडिका (F) तथा टेरिफ वर्ष 2017—2018 की कंडिका (e) के अनुसार ग्रीन फिल्ड छूट का लाभ कनेक्शन के विद्युत

प्रदाय प्रारंभ होने की दि. 29.08.2016 से अनुबंध प्रभावशील वित्तीय वर्ष 2016—2017 का होने के कारण ग्रीन फिल्ड रिबेट (छूट) का लाभ दि. 10. 04.2017 से भी दिया जावें।

03/ म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में दिये गयें प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर), (एन.एस.मंडलोई), (व्ही.के.गोयल) सदस्य सदस्य अध्यक्ष